

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ**

**मध्य प्रदेश**

क0 9/नर्सिंग/सेल-3/2014/47


भोपाल दिनांक 27/1/2014

**- आदेश -**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा नर्सिंग संवर्ग की स्टॉफ नर्स एवं ए.एन.एम. का जी.एन.एम. प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। कर्मचारियों द्वारा 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार निम्न कर्मचारियों को पात्रतानुसार 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश एवं उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि के अन्य अवकाश स्वीकृति दी जाती है :-

क0	कर्मचारी का नाम/पद	मूल पदस्थापना स्थान	प्रशिक्षण / प्रशिक्षण केंद्र का नाम	प्रशिक्षणरत अथवा प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके	अध्ययन अवकाश की पात्रता/स्वीकृत अध्ययन अवकाश।
1	श्रीमति.सुंदर वर्मा ए.एन.एम.	सा.स्वा.के. शुजालपुर	हमिदिया अस्पताल भोपाल	प्रशिक्षणपूर्ण	6.12.2012 से 5.12.2013 तक एक वर्ष का अर्जित अवकाश
2	श्रीमति मंजूला द्विवेदी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सा.स्वा.के. गोविन्दगढ़ रीवा	जी.एन.एम. रीवा	प्रशिक्षणपूर्ण	5.10.2009 से 5.10.2010 तक एक वर्ष का अर्जित अवकाश एवं 6.10.2010 से 6.10.2012 2 वर्ष के अध्ययन अवकाश की पात्रता आती है

जी.एन.एम. प्रशिक्षण एवं पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. नर्सिंग हेतु 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के अध्ययन अवकाश स्वीकृति के अतिरिक्त आवेदिकाओं के व्यक्तिगत खाते में शेष उपलब्ध अवकाश को पात्रता अनुसार ही समायोजित किया जावे। शेष अवधि के अवकाश की पात्रता न होने की दशा में अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करें।

  
 संचालक(नर्सिंग) 25/1/14  
 स्वास्थ्य सेवायें  
 मध्यप्रदेश

पृ0क0 9/नर्सिंग/सेल 3/14/

भोपाल दिनांक /1/2014

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सी.एम.ओ./सी.एस./बी.एम.ओ. ....की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित की सेवा पुस्तिका में स्वीकृत अध्ययन अवकाश को आवश्यक रूप से इंद्राज करने की कार्यवाही करें।
2. प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी एम.आई.एस. की ओर स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
4. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक(नर्सिंग)  
 स्वास्थ्य सेवायें